

प्रमाण

श्री आशोक पांडेय,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

राज्य
श्री श्री माध्यमिक शिक्षा परिषद,
श्री श्री एन 2 तृतीय फ्लोर,
प्रति शिक्षा विभाग, गढ़ दिल्ली ।

दिनांक 171 अनुभाग

दिनांक: 28 अगस्त, 1993

विषय:- भारतभारत के पब्लिक स्कूल, पन्डोली, मुरादाबाद को सीधे दिल्ली में सम्भाला जाने की अनुरोधित प्रमाण पत्र दिने जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह बताने का अधिक हुआ है कि भारतभारत के पब्लिक स्कूल पन्डोली, मुरादाबाद को सीधे दिल्ली में सम्भाला जाने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र दिने जाने में ही राज्य सरकार को निम्नलिखित शिर्षकों के अधीन जायजित नहीं है ।

- 1- विद्यार्थियों की रोजगार सौकर्यता के सम्बन्ध में अनुसंधान करना जायेगा ।
- 2- विद्यार्थियों की प्रबन्धन क्षमता में शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन के सम्बन्ध में होगा ।
- 3- विद्यार्थियों में कम से कम आ प्रशिक्षित तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित वर्ग जाति के बच्चों के लिए सुरक्षा रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयार विद्यार्थियों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क को अधिक प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- 4- सेवा द्वारा राज्य सरकार से कितनी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यार्थियों की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/की शिक्षा फंड दि. इन्स्ट्रुक्शन स्कूल तटी फिरोज इन्वर्जिमेन्ट नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों के सम्बन्ध में प्राप्त होने की शिक्षा से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान तथा नामांकन ही जायेगी ।
- 5- सेवा शिक्षा के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित क्षेत्रमानों तथा अन्य भत्तों से ही आनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त उपायकीय उपाय माध्यमिक विद्यार्थियों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।

३५

7- राज्य सरकार द्वारा राज्य सभा पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विधानसभा का रिजर्व निर्धारित प्रमाण/व्यवस्थाओं में रखा जायेगा

9- उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिशोधन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रस्तावित उपर्युक्त शर्तों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की देरी या गिरावट आती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भारतीय,

राज्य मन्त्री,
उप सचिव ।

पुणे 351011/15-7-1993, मद्रास

प्रतिनिधिमन्त्री मन्त्रिमंडल को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित है :- 1- उपर्युक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिशोधन/संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जायेगा

1- गिरा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- मंडलीय उप निदेशक, गुवाहाटी ।

3- गिरा निदेशक, निरीप, गुवाहाटी ।

4- निरीप, अग्नि भारतीय निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- प्रबन्धक, जारोबारुके पब्लिक स्कूल, पन्दीता, गुवाहाटी ।

आशा है,



राज्य मन्त्री,
उप सचिव ।

पुणे 351011/15-7-1993, मद्रास